File No.9-9099/148/2023- -9-

संख्या-54/2023/ R.F -2157/003-E-1728110

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
1. नगर पंचायत घघसरा बाजार एवं नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल जनपद- गोरखपुर।
2. नगर पंचायत, लार एवं बैतालपुर जनपद-देवरिया ।
3. नगर पंचायत, मगहर जनपद- संतकबीर नगर ।
4. नगर पंचायत, नगरा जनपद- बलिया ।

नगर विकास अनुभाग- 9 लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या -37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक क्रमशः अपने पत्रांक- 39/न0पं0घ0ब0/2023-24, दिनांक- 27.06.2023, पत्रांक- 513/न0पं0उ0/2023-24, दिनांक- 26.06.2023, पत्रांक- 876/न0पं0लार/2023-24, दिनांक- 06.07.2023 तथा पत्रांक- 67/न0पं0बैतालपुर /2023-24, दिनांक- 04.08.2023 पत्रांक- 39/न0प0 2023-24, दिनांक- 19.06.2023 तथा पत्रांक- 187/न0प0नगरा 2023-24, दिनांक- 18.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्रमशः नगर पंचायत घघसरा बाजार एवं नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल जनपद- गोरखपुर नगर पंचायत, लार एवं नगर पंचायत बैतालपुर जनपद-देवरिया नगर पंचायत मगहर जनपद- संतकबीर नगर तथा नगर पंचायत नगरा जनपद- बलिया को अनुदान संख्या- 37 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत क्रमशः धनराशि रू0 198.14 लाख, रू0 191.15 लाख, रू0 182.04 लाख रू0 114.18 लाख रू0 165.00 तथा 193.30 लाख अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर

विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पंचायत घघसरा बाजार एवं नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल जनपद- गोरखपुर नगर पंचायत, लार एवं नगर पंचायत बैतालपुर जनपद-देवरिया नगर पंचायत मगहर जनपद- संतकबीर नगर तथा नगर पंचायत नगरा जनपद- बलिया द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल प्राक्कलित **1043.81 लाख पर सम्यक् विचारोपरान्त रू0 1043.81 लाख (रूपये दस करोड़ तिरालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 521.90 लाख (रूपये पांच करोड इक्कीस लाख नब्बे हजार मात्र)** अनुदान संख्या-37, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पंचायत

अनुदान संख्या-37 **(धनराशि लाख रू0 में)**

क्र0 सं0	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत 50 प्रतिशत धनराशि
1	**नगर पंचायत घघसरा बाजार, जनपद-गोरखपुर**	1. नगर पंचायत घघसरा बाजार के पुलिस चौकी के आगे नहर पुलिया होते हुए मिठाई भुज वाले रोड तक सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य।	39.95		
		2. नगर पंचायत घघसरा बाजार के प्रधानमंत्री सडक से LIC ब्रिक फील्ड तक सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य।	39.92		
		3. नगर पंचायत घघसरा बाजार के सहजनवां बखिरा मार्ग पुलिस चौकी के आगे तक सी0 सी0 रोड, आर0 सी0 सी0 नाली का निर्माण कार्य।	39.99		
		4. नगर पंचायत घघसरा बाजार के नचनी टोला में प्रधानमंत्री सड़क से नचनी पिच रोड़ तक सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य।	38.30		
		5. नगर पंचायत घघसरा बाजार के नचनी टोला में वेद मंदिर	39.98		

		से वकील जी के घर होते हुए रामदीन चौधरी के घर तक सी0 सी0 रोड का निर्माण कार्य।			
		योग	**198.14**	**198.14**	**99.07**
2	**नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल जनपद-गोरखपुर**	1. नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल वार्ड नं0 14/10 में कन्या विद्यालय से ट्यूबेल होते हुए धर्मशाला तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। 2. नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल वार्ड नं0 08//13/04 में फया यादव के घर से स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज होते हुए जगदीश साहनी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। 3. नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल वार्ड नं0 09/14 में कन्या विद्यालय से मनोज शर्मा के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। 4. नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल वार्ड नं0 09/14 में वृजेश सिंह से जाहिद की दुकान होतु हुए मनोज ट्रेडर्स तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। 5. नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल वार्ड नं0 08/13 में पिच रोड से पशु अस्पताल व महावीर मौर्या के घर होतु हुए कृपाल गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। 6. नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल वार्ड नं0 04 में सतीश तिवारी के घर से हनुमान मन्दिर होते हुए अभिमन्यु तिवारी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	34.90 21.32 25.56 34.48 39.99 34.90		
		योग	**191.15**	**191.15**	**95.57**

3	**नगर पंचायत, लार जनपद-देवरिया**	1. नगर पंचायत लार के अन्तर्गत चौक वार्ड में बुच्चन सिंह के कटरा से पुलिया तक सी0सी0 रोड उच्चीकरण कार्य । 2. नगर पंचायत लार के अन्तर्गत घारी वार्ड में क्यामुघीन के बाउन्ड्री से मेन रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य । 3. नगर पंचायत लार के अन्तर्गत मठ वार्ड में चनुकी पिच रोड से इब्राहिम के प्लाट तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य । 4. नगर पंचायत लार के अन्तर्गत मठ वार्ड में गौरी के मकान से शाकिर के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य । 5. नगर पंचायत लार के अन्तर्गत गायगीर वार्ड में डा0 प्रेम जी के बाउन्ड्री से कॉशीराम आवास तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य 6. गयागीर वार्ड में टावर से बाईपास रोड तक पिच रोड नवीनीकरण कार्य । 7. नगर पंचायत लार के अन्तर्गत वैशकरनी वार्ड में पुलिस चौकी से मोहम्मद अली के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य 8. नगर पंचायत लार के अन्तर्गत वैशकरनी वार्ड में इस्माईल मिया के मकान से पुलिया तक सी0सी0 रोड उच्चीकरण कार्य । 9. नगर पंचायत लार के अन्तर्गत वैशकरनी वार्ड में मुसिर मास्टर के मकान से पुलिया तक नाली उच्चीकरण एवं सी0सी0 रोड निर्माण कार्य ।	32.93 28.84 33.99 21.60 12.49 12.49 14.05 10.86 14.79		
		योग	**182.04**	**182.04**	**91.02**
4	**नगर पंचायत मगहर, जनपद-संतकबीर**	1. मो0 मोहलालपुर में अमरूद्दीन के मकान से सेराज के मकान	39.56		

	नगर	तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। 2. मो0 इस्लामनगर में कसाई टोला रोड से शमा खातून के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। 3. मो0 इस्लामनगर में महताब के मकान कन्ही का घर होते हुए मोअज्जम एवं नासीर के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य। 4. मो0 अंजान शहीद में सुहेल के मकान से राशिद के मकान मार्ग पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य। 5. मो0 अंजान शहीद में एन0एच0 28 से ईदगाह मार्ग पर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	 39.43 38.37 27.39 20.25		
		योग	**165.00**	**165.00**	**82.50**
5	**नगर पंचायत बैतालपुर जनपद-देवरिया**	1. नगर पंचायत बैतालपुर में गोविन्दपुर में जीवन ज्योति स्कूल के पास से नितेश कुशवाहा के मकान से होते हुए अविनाश सिंह के मकान तक पिच रोड का निर्माण कार्य। 2. नगर पंचायत बैतालपुर के बढयां में शिव मंदिर के पास पुराने इण्टरलॉकिंग रोड से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। 3. नगर पंचायत बैतालपुर में बेलही तिवारी में महेन्दर पासवान के मकान से उदयभान मकान से होते हुए शिव प्रकाश के मकान तक तथा हीरामन पासवान के मकान से पार्वती के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। 4. नगर पंचायत बैतालपुर में	37.20 4.30 25.69		

		बेलही तिवारी से खोराराम मुखजी मार्ग से श्रीराज मणि के मकान तक तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य। 5. वार्ड नं0-13 में संजय मणि के मकान से दक्षिण चन्द्रशेखर मणि के मकान तक तथा सुबाष मणि के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य। 6. वार्ड सं0-12/13 में मेवा प्रसाद के मकान से शम्भू प्रसाद के मकान होते हुए धनन्जय मणि के मकान के आगे तक सी0सी0 रोड व कवर्ड नाली निर्माण कार्य।	8.92 17.34 20.73		
		योग	**114.18**	**114.18**	**57.09**
6	**नगर पंचायत नगरा जनपद- बलिया**	1. वार्ड नं0-14 में ललित यादव के मकान से पन्नालाल यादव के मकान तक एवं रामचीज यादव के मकान से सुरूज यादव के मकान तक व नन्हक यादव के मकान से चिझू यादव के खेत तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य । 2. वार्ड नं0- 14 में सुरेमन के ट्यूबवेल से सरकारी के ट्यूबवेल तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । 3. वार्ड नं0- 14 में राहुल पाण्डेय के मकान से सुरेश पाण्डेय के खेत (पोखरा) तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । 4. वार्ड नं0- 14 में सरकारी ट्यूबवेल (पुलिया) से देवेन्द्र राम के खेत तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । 5. वार्ड नं0- 01 में नगरा- घोसी मार्ग पर सरकारी ट्यूबवेल से	34.46 38.62 39.13 39.69 31.40		

		राजेश सिंह के खेत तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य । 6. वार्ड नं0- 6 रितेश यादव के मकान से अजय यादव के मकान तक सी0सी0 रोड एवं कवर्ड नाली का निर्माण कार्य । 7. वार्ड नं0- 6 में केदार यादव के मकान से व्यासमुनी के मकान होते हुए प्रेमचन्द के मकान व प्रकाश यादव के मकान तक कवर्ड नाली का निर्माण कार्य ।	6.80 3.20		
		योग	**193.30**	**193.30**	**96.65**
		कुल योग	**1043.81**	**1043.81**	**521.90**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षो के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/ डाकघर/ पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।

(6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव,नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायगा।

(10) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्याभ-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या- 227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) निष्प्रायोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्तन धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायगा।

(15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्त्र से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जाएगा।

(17)प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय वहाँ के जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(18)कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो यह भी वहाँ के जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(19)योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

(20) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 2/2023/ बी- 1-227/ दस- 2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च , 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) ' सेंटेज चार्जेज , निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन ' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ ए- 2-60/ दस- 2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई , 2023 तथा शासनादेश संख्या- 02/2023/ ए- 2-66/ दस- 2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई , 2023 के प्रावधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चारत तत्काल कार्य प्रारम्भत कराया जाना अनिवार्य होगा।

(23) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(24) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0,प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।

(25) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबंधित अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(26) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।

(27) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात यदि धनराशि की बचत होती है, उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(28) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 5,21,90,000 (रुपये पांच करोड़ इक्कीस लाख नव्वे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 6215021930500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना **मानक मद** 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-237-X-2023-24, दिनांक- 09 **अक्टूबर, 2023** मे प्राप्त वित विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 54 /2023/ R.F - 2157/003-E-1728110, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।

7. कोषाधिकारी, गोरखपुर, संतकबीरनगर, देवरिया तथा बलिया ।

8 . वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।

9. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

/

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-10/10/2023

प्रेषण संख्या:- 54
आवंटन आदेश संख्या:- 001-54-2023-RF2157-003-E-1728110
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बलिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9665000 18295000	9665000 18295000
2	गोरखपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	19464000 36508000	19464000 36508000
3	देवरिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14811000 32882000	14811000 32882000
4	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8250000 55010000	8250000 55010000
	योग	वर्तमान प्रगामी	52190000 142695000	52190000 142695000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ इक्कीस लाख नब्बे हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ छब्बीस लाख पंचानवे हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव